संख्या- 66 /2020 / 421/ चार-2020

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 07 मार्च 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ की वीथिका संख्या-3 में स्थायी प्रदर्शनी के निर्माण एवं संग्रहालय भवन के प्रवेश द्वार पर दिव्यांगजनों के लिए रैम्प का निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1457/उ0प्र0सं0नि0-5(69)/2018 दिनांक 13 फरवरी, 2020 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ की वीथिका संख्या-3 में स्थायी प्रदर्शनी के निर्माण एवं संग्रहालय भवन के प्रवेश द्वार पर दिव्यांगजनों के लिए रैम्प का निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था-कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज(उ0प्र0 जल निगम) द्वारा धनराशि रू0 35.50 लाख के आगणन के अनुसार कार्य किये जाने का निर्णय लेते हुए रू0 35.50 लाख की लागत मूल्यांकित की गयी ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ की वीथिका संख्या-3 में स्थायी प्रदर्शनी के निर्माण एवं संग्रहालय भवन के प्रवेश द्वार पर दिव्यांगजनों के लिए रैम्प का निर्माण कार्य हेतु मूल्यांकित लागत धनराशि रू0 35.50 लाख (रूपये पैतीस लाख पचास हजार मात्र) की प्रशासकीय/ वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तो के अधीन प्रदान करते है:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी। उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशो का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 , दिनांक 22 मार्च, 2019 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के नियमों व इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानको (स्टैण्डडर्स आफ फाइनेशियल प्रोप्राइटरी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि को राजकोष से आहरित कर वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमानुसार कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज(उ0प्र0 जल निगम) को उक्त निर्माण कार्य हेतु आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जायेगा, जो आगणन के सापेक्ष नियमानुसार प्रश्नगत कार्य की अनुमोदित मात्राओं हेतु व्यय करेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य की अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति /द्विरावृत्ति न हो, इसे निदेशक, संग्रहालय निदेशालय अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे। निर्माण हेतु प्रस्तावित कार्य को निदेशक, संग्रहालय निदेशालय के निर्देशन व उनके परामर्श से सम्पादित किये जायेंगे।

(5) उक्त कार्य हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निमार्ण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(6) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप कार्यदायी संस्था तथा निदेशक, संग्रहालय निदेशालय द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(7) उपर्युक्त कार्यवाही करने के उपरान्त ही कार्यदायी संस्था प्रश्नगत कार्य से सम्बन्धित धनराशि कार्य में उपभोग कर सकेगी।

3 - उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या- 92- आयोजनेत्तर पक्ष के लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-107-संग्रहालय-03-अधिष्ठान-42-अन्य व्यय, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय लखनऊ मद से वहन किया जायेगा।

4 - यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 , दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या - 66 /2020 / 421 (1)/चार-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- आहरण एवं वितरण अधिकारी-सहायक निदेशक, राज्य संग्रहालय लखनऊ
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-7, कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज(उ0प्र0 जल निगम) मेरठ।
5- संग्रहालयाध्यक्ष, राजकीय स्वतंत्रता संग्रहालय संग्रहालय मेरठ।
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,
(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।